

कम संख्या— 93

पंजीकृत संख्या—डी0एन0 / -30 / 03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल उत्तरांचल

सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार 27 मई, 2005 ई0 ज्येष्ठ 06,1925 शक सम्वत्उत्तरांचल शासनविधायी एवं संसदीय कार्य विभागसंख्या 176 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2003 देहरादून, 27मई, 2003अधिसूचनाविविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 को दिनांक 16 अप्रैल, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2003}

राज्य में मोटरयानों पर आरोपित करों में सुधार करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और
जायेगा। प्रारम्भ

1— (1) यह अधिनियम उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2003, कहा

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे और विभिन्न उपबंधों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषाएं

2— इस अधिनियम में —

(क) {***},₁

(ख) “अपील प्राधिकारी” का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड या राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी से है;

(ग) “रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र” का तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये इस आशय के प्रमाण पत्र से है कि मोटरयान को मोटरयान अधिनियम, 1988, या मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है;

- (घ) 'माल वाहन' का तात्पर्य किसी ऐसे मोटरयान से है जो माल ढोने के लिये पूर्णतः या अंशतः उपयोग में लाये जाने के लिये निर्मित या अनुकूलित हो या ऐसे किसी मोटरयान से है जो इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित न हो कि वह केवल माल ढोने या यात्रियों के साथ-साथ माल ढोने के लिये उपयोग में लाया जाय और इसके अन्तर्गत ट्रेलर भी है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई मोटर टैक्सी या बड़ी टैक्सी, या कोई ठेका गाड़ी या कोई मंजिली गाड़ी नहीं है जब ऐसी ठेका गाड़ी या मंजिली गाड़ी परिसीमित मात्रा में ढोने के लिये प्राधिकृत हो;
- (ङ) 'परिसीमित मात्रा का भार' का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा अवधारित सीमा से अनधिक भार के ऐसे परिमाण से है, जैसा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट करे;
- (च) 'पुराना मोटरयान' का तात्पर्य परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटरयान से है जो मोटरयान अधिनियम 1939 के उपबंधों के अधीन 5 फरवरी, 1988 के पूर्व रजिस्ट्रीकृत हो;
- (छ) किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में 'संचालक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम परमिट में या पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1976 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अधीन जारी किये गये किसी प्राधिकार प्रमाण-पत्र में हो, और जब ऐसा न हो, वहां उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम ऐसे यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दर्ज हो, और जहां परिवहन यान किसी अवक्य करार के अधीन हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका उस यान पर करार के अधीन कब्जा हो, और जहां ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे अवयस्क के संरक्षक से है;
1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2013 की धारा 2 (1) द्वारा निकाला गया।
- (ज) किसी मोटरयान के सम्बन्ध में 'स्वामी' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका नाम ऐसे यान के सम्बन्ध में जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दर्ज हो और जहां ऐसा यान किसी अवक्य करार या पट्टे या आडमान के अधीन हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसका यान पर उस करार के अधीन कब्जा हो और जहां ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे अवयस्क के संरक्षक से है;
- (झ) किसी सार्वजनिक सेवा यान के सम्बन्ध में 'यात्री' का तात्पर्य किसी सार्वजनिक सेवा यान में यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति से है, किन्तु इसके अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा यान से संसक्त अपने कर्तव्यों के सद्भावपूर्ण निर्वहन में यात्रा करने वाले सार्वजनिक सेवा यान के संचालक, ड्राइवर, कण्डक्टर या संचालक का कोई कर्मचारी नहीं आता है;
- {(ज) 'तिमाही' से किसी कैलेन्डर मास के प्रथम दिवस को प्रारम्भ होने वाले तीन कैलेन्डर मास की अवधि अभिप्रेत है;}¹
- (ट) 'सम्भाग' का तात्पर्य मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन सम्भाग के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से है और इसके अन्तर्गत कोई उप सम्भाग भी है जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जायें;
- (ठ) {'मोटर वाहन कर'}² का तात्पर्य धारा 4 के अधीन उद्गृहीत किसी कर से है;
- {(ठ-1) 'विशेष कर' से धारा 4-क के अधीन अधिरोपित कर अभिप्रेत है;
- (ठ-2) 'उपकर' से धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अधिरोपित ग्रीन उपकर अभिप्रेत है;
- (ठ-3) 'स्कूल कैब' से किसी विद्यालय या कॉलेज के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उसके मान्यता प्राप्त अविभावक शिक्षण संघ के नियंत्रणाधीन ऐसा मोटर कैब/मैक्सी कैब अभिप्रेत है, जिसका उपयोग विद्यार्थियों को विद्यालय/कॉलेज लाने-ले जाने के लिये होता है;}³
- (ड) 'कराधान अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अधिकारी भी है, जिसे राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कराधान अधिकारी की सभी या कोई शक्ति प्रदान की जाये;

(ढ) {***}₄

(ण) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और मोटरयान अधिनियम, 1988 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में कमशः उनके लिये दिये गये हैं।

छूट देने की शक्ति
और
परोपकारी या
मोटरयानों के

3— (1) राज्य सरकार नियम या अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए ऐसी अवधि के लिए जैसी विनिर्दिष्ट की जाये किसी शैक्षिक, चैकित्सिक, अन्य लोक प्रयोजन को अग्रसर करने में चलने वाले किसी मोटरयान या किसी वर्ग को पूर्णतः या अंशतः निम्नलिखित से छूट दे सकती है:—

(क) इस अधिनियम या इसके किसी उपबन्ध के प्रवर्तन से; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी कर के भुगतान से।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी छूट या छूट के लिये आरोपित शर्त भूतलक्षी दिनांक से जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के दिनांक से पहले का न हो, प्रभावी की जा सकती है।

(3) राज्य सरकार इसी तरह उपधारा (1) के अधीन दी गयी कोई छूट वापस ले सकती है किन्तु ऐसी छूट की वापसी भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित नहीं होगी।

1.उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2013 की धारा 2 (2) द्वारा

प्रतिस्थापित। 2.उपर्युक्त की धारा 2 (3) द्वारा प्रतिस्थापित।

3.उपर्युक्त की धारा 2 (4) द्वारा बढ़ाया गया।

4.उपर्युक्त की धारा 2 (5) द्वारा निकाला गया।

कर का आरोपण
उपबन्धित के

4— (1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथा अन्यथा सिवाय, परिवहन यान से भिन्न किसी मोटरयान का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे मोटरयान के सम्बन्ध दर पर एक बार देय कर का, [जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना विनिर्दिष्ट किया जाय,]¹ भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु जहां किसी ऐसे मोटरयान के सम्बन्ध में एक बार देय कर का भुगतान उ0प्र0 मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम 2000 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के प्रारम्भ होने के पूर्व किया जा चुका है और धारा 12 की उपधारा 5 के अधीन ऐसे कर की वापसी नहीं की गयी हो, वहां ऐसे प्रारम्भ के पश्चात उसके सम्बन्ध में इस उपधारा के अधीन कोई कर देय नहीं होगा :

परन्तु यह और कि किसी पुराने मोटरयान के सम्बन्ध में, एक बार देय कर का भुगतान करने के बजाय ऐसे मोटरयान पर लागू दर पर वार्षिक कर, [जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय,]², भुगतान किया जा सकता है।

[(1-क) इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय किसी दुपहिया, तीन पहिया मोटर कैब और 3000 किलोग्राम से अनधिक भार वाले माल वाहन का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे मोटर यान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, वार्षिक कर का भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में वार्षिक कर के एवज में एक बार देय कर की ऐसी धनराशि, जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, का भुगतान किया जा सकेगा;]³

[परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी तीन पहिया मोटर कैब के सम्बन्ध में ऐसी दर पर तिमाही कर का भी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाय, भुगतान किया जा सकेगा।]⁵

[(2) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उपधारा (1-क) में विनिर्दिष्ट वाहनों से भिन्न किसी मालवाहन, निर्माण उपस्कर यानों, विशेष रूप से डिजायन किये गये यान, मोटर कैब (दुपहिया, तीन पहिया मोटर कैब से भिन्न), और मैक्सी कैब का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे यान के सम्बन्ध में ऐसी

दर पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, उस वाहन के सम्बन्ध में तिमाही कर का भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में तिमाही कर के बजाय, ऐसी दर पर वार्षिक कर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाय, भुगतान किया जा सकेगा।⁴

{परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटरकैब और मैक्सीकैब के सम्बन्ध में ऐसी दर पर मासिक कर का भी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाय, भुगतान किया जा सकेगा।}⁶

{(2-क) इस अधिनियम या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उपधारा (1-क) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट यानों से भिन्न किसी सार्वजनिक सेवा यान का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे मोटर यान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, मासिक कर का, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाय, भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में मासिक कर के बजाय तिमाही या वार्षिक कर की ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, भुगतान किया जा सकेगा।

1-उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2013 की धारा 3 (1)(क) द्वारा

प्रतिस्थापित। 2-उपर्युक्त की धारा 3 (1) (ख) द्वारा प्रतिस्थापित

3-उपर्युक्त की धारा 3 (2) द्वारा बढ़ाया गया।

4-उपर्युक्त की धारा 3 (3) द्वारा प्रतिस्थापित।

5-उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 35 वर्ष 2013 की धारा 2 (1) द्वारा बढ़ाया

गया। 6-उपर्युक्त की धारा 2 (2) द्वारा बढ़ाया गया।

(2-ख) जहाँ सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले माल के कराधान से सम्बन्धित कोई पारस्परिक करार उत्तराखण्ड सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मध्य किया जाय, वहाँ उपधारा (1-क) या उपधारा (2) के अधीन कर का उदग्रहण उक्त उपधाराओं में से किसी बात के होते हुए भी, ऐसे करार के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार होगा :

परन्तु यह कि इस प्रकार उदग्रहित कर उस कर से अधिक नहीं होगा, जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उदग्रहित होता है।¹

{(3) इस अधिनियम या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उत्तराखण्ड राज्य में अस्थायी रूप से पंजीकृत वाहनों का संचालन तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक उनके सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, कर का भुगतान न कर दिया गया हो।

(4) इस अधिनियम या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य में "डीलर" के कब्जे में विक्रय के प्रयोजनार्थ रखे गये वाहनों पर ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, कर का भुगतान देय होगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन देय कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण नियंत्रण के विविध उपाय लागू करने, शहरी परिवहन क्षेत्र में सुधार करने के लिये, राज्य में सड़क पर चलने के लिये उपयुक्त वाहनों पर ग्रीन सेस के नाम से उपकर की ऐसी दर पर, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, अधिरोपित एवं एकत्र किया जायेगा।²

{कतिपय यानों के सम्बन्ध में
मेला में विशेष कर का
या ऐसे उदग्रहण
जारी
प्रचालन
राज्य
कर

इस अधिनियम द्वारा या तदधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विशेष अवसरों यथा और धार्मिक समागमों पर यात्रियों की सवारी के लिये या बारातों, पर्यटक समूहों अन्य आरक्षित समूहों, जिन्हे किसी भी नाम से पुकारा जाय, को ले जाने के लिये अस्थायी परमिट द्वारा आच्छादित किसी सार्वजनिक सेवा यान का उत्तराखण्ड में धारा 4 के अधीन कर के साथ-साथ तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि, सरकार द्वारा यथा अधिसूचित दर पर, तत्सम्बन्ध में विशेष कर का भुगतान नहीं दिया जाता है।³

5- {***}⁴

6— {***}₅

7— {***}₆

दुर्घटना राहत निधि
या
देने
ज्ञात
(2—क)
निधि में

8— [(1) किसी सार्वजनिक सेवा यान के किसी दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार "उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि" नाम से एक निधि स्थापित करेगी तथा धारा 4 की उपधारा (1), (1—क), (2), एवं (2—ख) के अधीन उदग्रहीत कर के दो प्रतिशत के समतुल्य धनराशि, उक्त जमा की जायेगी।]₇

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2013 की धारा 3 (4) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उपर्युक्त की धारा 3 (6) द्वारा प्रतिस्थापित
3. उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उपर्युक्त की धारा 5 द्वारा निकाला गया।
5. उपर्युक्त की धारा 6 द्वारा निकाला गया।
6. उपर्युक्त की धारा 7 द्वारा निकाला गया।
7. उपर्युक्त की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का प्रशासन और उपयोग ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा विहित किया जाय।

[राज्य शहरी परिवहन
के निधि
की
जायेगी।

8—क (1) शहरी क्षेत्र में परिवहन का ढांचागत विकास, सड़क सुरक्षा एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण लिये राज्य सरकार "राज्य स्तरीय शहरी परिवहन निधि" स्थापित करेगी। धारा 4 उपधारा (5) के अधीन उदग्रहीत उपकर की धनराशि उक्त निधि से जमा की

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का प्रशासन और उपयोग ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा विहित किया जाय।]₄

कर और शास्ति का
हुए— भुगतान

9. (1) धारा 11 के उपबंधों के अधधीन रहते

(एक) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन देय कर का भुगतान मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय किया जायेगा :

परन्तु किसी पुराने मोटरयान के सम्बन्ध में कर प्रत्येक वर्ष जनवरी के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय हो;

[(दो) धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के समय, तीन पहिया मोटर कैब के लिये एक तिमाही के लिये अग्रिम में और अन्य के लिए एक वर्ष के लिये अग्रिम और तत्पश्चात् यथा स्थिति प्रत्येक अगले अनुवर्ती प्रत्येक वर्ष के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व, संदेय होगा;

(तीन) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय मोटरकैब और मैक्सी कैब के लिए एक कलैण्डर माह के लिए अग्रिम में और अन्य के लिए एक त्रैमास के लिए अग्रिम में और तत्पश्चात् यथास्थिति प्रत्येक अगले अनुवर्ती कलैण्डर माह के पन्द्रह तारीख या उसके पूर्व या प्रत्येक अगले अनुवर्ती त्रैमास के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख या उसके पूर्व संदेय होगा;]₅

(चार) [(क) धारा 4 की उपधारा (2—क) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक कैलेण्डर माह के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात् अगले अनुवर्ती प्रत्येक कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उससे पूर्व संदेय होगा;]₂

(ख) मेला और धार्मिक सभाओं जैसे विशेष अवसरों पर यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से लाने, या बारात, पर्यटक पार्टी या ऐसी अन्य रिजर्व पार्टी की सवारी के लिये जारी किये जाने वाले अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाले यानों के सम्बन्ध में [धारा 4—क के अधीन देय विशेष कर]₃ का भुगतान ऐसे अस्थायी परमिट के जारी किये जाने के समय किया जायेगा।

[(पाँच) (क) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन संदेय कर मोटरयान के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के समय 30 दिन के लिये अग्रिम में देय होगा;

(ख) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन संदेय कर प्रत्येक वर्ष जनवरी के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व अग्रिम में देय होगा;

(ग) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन संदेय उपकर यथा स्थिति यान के रजिस्ट्रीकरण के समय, यान के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के समय या यान के फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय देय होगा।]⁴

1-उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2013 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया।

2-उपर्युक्त की धारा 10(1)(ख) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

3-उपर्युक्त की धारा 10(1)(ख) (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।

4-उपर्युक्त की धारा 10(1)(ग) द्वारा बढ़ाया गया।

5-उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 35वर्ष 2013 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) जब कोई व्यक्ति अपने नाम से रजिस्ट्रीकृत किसी मोटरयान को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करता है, तब इस सम्बन्ध में अन्तरक के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अन्तरिती मोटरयान के अन्तरण के दिनांक को या उसके पूर्व इस प्रकार अन्तरित मोटरयान के सम्बन्ध में देय कर या अतिरिक्त कर और शास्ति, यदि कोई हो, के बकाये का इस प्रकार देनदार होगा, मानो अन्तरिती उस अवधि के दौरान जिसके लिए ऐसा कर, अतिरिक्त कर, या शास्ति देय हो, उक्त मोटरयान का स्वामी था।

(3) जहां किसी मोटरयान के सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर का भुगतान उपधारा (1) विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाय, वहां देय कर या अतिरिक्त कर के अतिरिक्त [देय धनराशि से अधिक]² शास्ति देय होगी जिसके लिये स्वामी और संचालक, यदि कोई हो, संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक देनदार होंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन कर, अतिरिक्त कर या शास्ति की धनराशि की संगणना करने में, धनराशि को निकटतम रूपये तक पूर्णांकित किया जायेगा, अर्थात् एक रूपये के भाग को जो पचास पैसे या उससे अधिक हो, अगले उच्चतर रूपये तक पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा।

कर भुगतान किये बिना उत्तराखण्ड में यानों का उपयोग नहीं किया मोटरयान जायेगा कोई सम्बन्ध में—

10. (1) धारा 9 में किसी बात के होते हुए भी—

(क) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तराखण्ड से बाहर हो, अधिनियम, 1988 के अधीन दिये गये अस्थायी/स्थायी परमिट के अधीन परिवहन यान उत्तराखण्ड में नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके

[(एक) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अधिकारिता उत्तराखण्ड के बाहर हो, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन दिये गये अस्थायी परमिट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तराखण्ड में नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 4 के अधीन उत्तराखण्ड में उसके उपयोग व ठहरने के लिये कर का भुगतान न कर दिया गया हो;]³

(दो) यथास्थिति भार वाहन की दशा में धारा 5 या ठेका वाहन की दशा में धारा 6 के अधीन अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो;

(तीन) अन्तर्राज्यीय यात्री मार्गों पर दो राज्यों के करार अनुसार अनुमत मंजिली परमिट के वाहन की दशा में धारा 6 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में वाहन का अतिरिक्त कर न जमा कराया जा रहा हो।

[(ख) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अधिकारिता उत्तराखण्ड के बाहर हो, उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन दिये गये किसी राष्ट्रीय परमिट के अधीन कोई माल वाहन उत्तराखण्ड में नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय मोटर यान नियमावली,

1989 के नियम 87 के अधीन समेकित फीस का भुगतान विहित रीति से न कर दिया गया हो।¹

- (ग) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तराखण्ड के बाहर हो, मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1993 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा 9 के अधीन दिये गये परमिट के अधीन कोई सार्वजनिक सेवा यान उत्तराखण्ड राज्य में नहीं चलाया जायगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में [धारा 4 के अधीन कर]⁴ का भुगतान विहित रीति से [राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट]⁴ दर से न कर दिया गया हो :

{***}¹

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16 वर्ष 2011 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित। 2. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2013 की धारा 10(2) द्वारा प्रतिस्थापित। 3. उपर्युक्त की धारा 11(1)(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 11(1)(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 11(1)(ग) द्वारा निकाला गया।

(2) {***}¹

- (3) अन्य राज्यों से प्राप्त अस्थायी/स्थायी परमिटों से आच्छादित वाहनों को उत्तराखण्ड राज्य में बिना देय कर व अतिरिक्त कर के संचालित पाये जाने की दशा में प्रत्येक [देय कर के पांच गुने के बराबर]² शास्ति देय होगी।

(4) {***}³

- {(5) जहाँ किसी परिवहन यान से भिन्न कोई मोटरयान परिवहन यान के रूप में चलता हुआ पाया जाय, उसके लिये ऐसा कर जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, देय होगा।]⁴

[प्रथम बार के दायित्व पर सम्बन्ध देय धनराशि तो कर

11. इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबन्धित के सिवाय किसी परिवहन यान के में जब किसी कैलेण्डर मास के प्रारम्भ के पश्चात प्रथम बार कोई कर देय होता है धारा 4 के अधीन देय कर प्रत्येक कैलेण्डर माह या उसके भाग, जिसके सम्बन्ध में देय है, के लिये समुचित तिमाही कर का एक तिहाई या समुचित वार्षिक कर का बारहवाँ भाग होगा।]⁵

यान का अनुपयोग और दिया कर का वापस करना मोटरयान {***}⁶ का उपयोग वह ऐसे भुगतान बारहवें

12. (1) जब कोई व्यक्ति जिसने किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में कर का भुगतान कर है, कराधान अधिकारी के संतोषानुसार विहित रीति से यह सिद्ध कर दे कि का, जिसके सम्बन्ध में ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, अन्तिम बार कर भुगतान करने के समय से एक मास या उससे अधिक की लगातार अवधि में नहीं किया गया है तो वह उतनी धनराशि के वापसी का हकदार होगा, जितनी यान के सम्बन्ध में ऐसी अवधि के प्रत्येक (तीस दिन) के लिए जिसके लिये किया गया हो, देय [यथास्थिति, तिमाही कर के एक तिहाई या वार्षिक कर के भाग]⁷ के बराबर हो :

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति, उस अवधि के पूर्व जिसके लिए ऐसी वापसी का दावा किया गया हो, कराधान अधिकारी के पास यान के सम्बन्ध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन यदि कोई हो और परमिट अम्यर्पित न कर दे :

[परन्तु अग्रतर यह कि जहाँ धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन किसी मोटरयान के लिये एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है वहाँ ऐसे यान के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के लिये 0.008 भाग के समतुल्य धनराशि वापस की जायेगी।]⁸

- (2) जहाँ किसी मोटरयान का, यथास्थिति संचालक या स्वामी एक मास या उससे अधिक की अवधि के लिये अपने यान का उपयोग नहीं करना चाहता है वहाँ वह यथास्थिति, कर का अतिरिक्त कर के देय दिनांक के पूर्व उस सम्भाग के कराधान अधिकारी के पास जहाँ कर {***}⁹ का अन्तिम बार भुगतान किया गया हो, मोटरयान के सम्बन्ध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र टोकन, यदि कोई हो और परमिट यदि कोई हो, अभ्यर्पित करेगा और ऐसे अभ्यर्पण पर ऐसे

यान के सम्बन्ध में प्रत्येक पूर्ण कलेण्डर मास की उस अवधि के लिये, जिसके दौरान यान उपयोग में न रहे और उपर्युक्त दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास अभ्यर्पित रहे, इस अधिनियम के अधीन कोई कर $\{***\}_9$ देय नहीं होगा :

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2013 की धारा 11(2) द्वारा निकाला गया। 2. उपर्युक्त की धारा 11(3) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 11 (4) द्वारा निकाला गया।
4. उपर्युक्त की धारा 11 (5) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 13 (1) द्वारा निकाला गया।
7. उपर्युक्त की धारा 13 (2)(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उपर्युक्त की धारा 13 (2)(ख) द्वारा बढ़ाया गया।
9. उपर्युक्त की धारा 13 (3)(क) द्वारा निकाला गया।

परन्तु यदि ऐसा यान उस अवधि के दौरान जब इस उपधारा में यथा उल्लिखित उसके दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास अभ्यर्पित रहें, चलाया जाता हुआ पाया जाय, तो ऐसे यान का यथास्थिति, स्वामी या संचालक [कर का देनदार होगा मानो उक्त दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किये गये थे और कर के पॉच गुना देय शास्ति का भी देनदार होगा।]¹

- (3) जहां [मोटरयान,]² जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया हो, का स्वामी कराधान अधिकारी के संतोषानुसार विहित रीति से यह सिद्ध कर दे कि ऐसे मोटरयान का एक मास या इससे अधिक की लगातार अवधि में उपयोग नहीं किया गया है, वहां वह उक्त अवधि के लिये [ऐसी कर की वापसी का हकदार होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय]² :

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि यान के सम्बन्ध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टोकन, यदि कोई हो, उसके स्वामी द्वारा कराधान अधिकारी को अभ्यर्पित न कर दिया जाय :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन वापस की जाने वाली कुल धनराशि इस अधिनियम के अधीन भुगतान किये गये एक बार देय कर से अधिक नहीं होगी।

- (4) उपधारा (3) के अधीन वापसी की धनराशि की गणना करने में, उस अवधि के किसी भाग को जो एक कलेण्डर मास से कम हो, छोड़ दिया जायेगा।
- (5) किसी परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटरयान जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, का स्वामी [राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट]³ दरों पर ऐसे कर को वापस पाने का इस आधार पर हकदार होगा कि उनसे ऐसे कर के भुगतान के पश्चात ऐसे यान को स्थायी रूप से किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में लाने के फलस्वरूप ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मोटर यानों पर कर संबंधी किसी अन्य अधिनियमित के अधीन ऐसे यान के सम्बन्ध में कर का भुगतान कर दिया है या ऐसे मोटरयान को परिवहन यान के रूप में परिवर्तित किया गया है या ऐसे मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है।
- (6) जहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी पुराने मोटरयान के सम्बन्ध में एक बार देय कर से भिन्न कर का भुगतान कर दिया हो, कराधान अधिकारी के संतोषानुसार यह सिद्ध कर दे कि ऐसे मोटरयान जिसके सम्बन्ध में ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, का उपयोग ऐसे कर या किस्त का अन्तिम बार भुगतान करने के समय से एक कलेण्डर मास या इससे अधिक की लगातार अवधि तक नहीं किया गया है वहां वह उतनी धनराशि वापस पाने का हकदार होगा, जितनी ऐसी अवधि जिसके लिये ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, के प्रत्येक पूर्ण कलेण्डर मास के लिए ऐसे यान के सम्बन्ध में देय वार्षिक कर की दर के बारहवें भाग के बराबर हो :

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने कराधान अधिकारी के पास यान के सम्बन्ध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और टोकन, यदि कोई हो, उस अवधि के पूर्व, जिसके लिए ऐसे वापसी का दावा किया जाए, अभ्यर्पित न कर दिया हो।

(7) {***}₄

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2013 की धारा 13(3)(ख) द्वारा प्रतिस्थापित। 2. उपर्युक्त की धारा 13(4) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 13 (5) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 13 (6) द्वारा निकाला गया।

(8) जहां किसी मोटरयान का यथास्थिति संचालक या स्वामी अपने मोटरयान का उस यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उपयोग करने में असमर्थ है और उस यान के सम्बन्ध में जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन यदि कोई हो, और परमिट यदि कोई हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के साथ उस यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कराधान अधिकारी को अभ्यर्पित कर दिये जाते हैं, तो यह अभ्यर्पण दुर्घटना के दिनांक को किया गया समझा जायेगा।

((9) किसी मोटर वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने अथवा वाहन को किसी अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किये जाने की दशा में उपयोग न होने पर राज्य सरकार द्वारा यथा विहित सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य के साथ नियत समयावधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने पर किसी भी पूर्ण कैलेण्डर माह की अवधि के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन का अप्रयोग स्वीकार किया जा सकेगा तथा सम्यक जाँचोपरांत निम्नलिखित सीमा तक कर का परिहार किया जा सकेगा :-

(एक) ₹0 5000.00 तक परिवहन कर अधिकारी-1

(दो) ₹0 5000.00 से 15000.00 तक सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी

(तीन) ₹0 15000.00 से 30,000.00 तक सम्भागीय परिवहन अधिकारी

(चार) ₹0 30000.00 से अधिक राशि हेतु परिवहन आयुक्त द्वारा नामित उप परिवहन आयुक्त

(कर) :

परन्तु यह कि राज्य कर्मियों की हड़ताल या ऐसे अन्य अपरिहार्य कारणों, जिसमें वाहन स्वामियों की कोई त्रुटि न हो, के कारण वाहन स्वामी द्वारा नियत समयावधि के भीतर कर जमा न करने पर उसके लिए देय शास्ति का परिहार करने के लिये परिवहन आयुक्त सक्षम होंगे।}₁

यान को उपयोगार्थ रखने 13—
घोषणा वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा
अधिनियम
वह ऐसे

(1) प्रत्येक मोटरयान का स्वामी या संचालक विहित प्रपत्र में उसके सम्बन्ध में एक करेगा और विहित समय के भीतर कराधान अधिकारी को देगा और उसे इस की अपेक्षानुसार या उसके अधीन {मोटर वाहन कर}₂ या अतिरिक्त कर जिसका यान के सम्बन्ध में ऐसी घोषणा द्वारा देनदार प्रतीत होता हो, भुगतान करेगा।

(2) जहां किसी मोटरयान में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि उसका स्वामी या संचालक धारा 14 के अधीन बड़े हुए {मोटर वाहन कर}₂ का देनदार हो जाय, वहां ऐसा स्वामी या संचालक विहित समय के भीतर विहित प्रपत्र में किये गये परिवर्तन की प्रकृति को दर्शाते हुए एक अतिरिक्त घोषणा करेगा और घोषणा कराधान अधिकारी को देगा और उसे धारा 14 के अधीन देय कर या अतिरिक्त कर में अन्तर का भुगतान करेगा।

कर में अन्तर का भुगतान 14—
कर
जिसके
या
से
होगा।

जहां किसी ऐसे मोटरयान में, जिसके सम्बन्ध में {मोटर वाहन कर}₃ का भुगतान दिया गया हो, इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि वह यान ऐसा यान हो जाय सम्बन्ध में अपेक्षाकृत ऊंची दर से {मोटर वाहन कर}₃ देय हो वहां उसका स्वामी संचालक ऐसे यान के सम्बन्ध में इस प्रकार परिवर्तन करने के पश्चात संयुक्त रूप और पृथक-पृथक देय {मोटर वाहन कर}₃ की धनराशि के अन्तर का देनदार

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2013 की धारा 13(7) द्वारा प्रतिस्थापित। 2. उपर्युक्त की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र 15.
कर का में कर के भुगतान का
में अभिलेखन और {प्रमाण- पत्र}₁ का दिया जाना

(1) कराधान अधिकारी मोटरयान के सम्बन्ध में दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में भुगतान अभिलिखित करेगा और किसी परिवहन यान के मामले में विहित प्रपत्र {प्रमाण-पत्र}₂ भी जारी करेगा।

(2) {***}₃

- यान को रोकने और अधिकारी प्रवेश करने की शक्ति कर रखेगा कर्तव्य यान में
16. कराधान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य द्वारा अपेक्षा किये जाने पर मोटरयान का ड्राइवर यान को रोकेगा और रोक जिससे कि वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी का पालन कर सके और ऐसा करने के लिये ऐसा प्राधिकारी या अन्य अधिकारी प्रवेश कर सकता है और उसमें यात्रा भी कर सकता है।
- समय-सारणी का दिया विहित जाना करने के एकल कराधान
17. (1) प्रत्येक मंजिली गाड़ी का संचालक ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसी की जाय, कराधान अधिकारी को अपनी मंजिली गाड़ी के आगमन और प्रस्थान समय को विनियमित करने वाली एक सारणी के साथ एक तिमाही में की गयी यात्राओं की संख्या और अपने कारबार से संबंधित ऐसे अन्य विवरण देगा जैसा अधिकारी समय-समय पर आदेश द्वारा अपेक्षा करे।
- (2) उपधारा (1) निर्दिष्ट समयमापनों या विवरण में किसी परिवर्तन की सूचना संचालक द्वारा कराधान अधिकारी को ऐसे परिवर्तन के प्रभावी होने के पन्द्रह दिन के भीतर दी जायेगी।
- ((3) यथास्थिति प्रत्येक मंजिली गाड़ी का संचालक प्रत्येक वाहन के संचालन की लाग बुक रखेगा, जिसमें ऐसी सूचनायें, जैसी कि विहित की जाय, रखेगा। वाहन स्वामी या चालक अथवा संचालक लाग बुक कराधान अधिकारी को मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।⁴
- अपील व्यक्ति अपील
18. (1) [धारा 4 एवं धारा 12 के अधीन]⁵ कराधान अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को कर सकता है।
- (2) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील में अपील प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।
- अपराधों का दण्ड होगा रूपये]⁶
19. जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है वह जुर्माने से जो [दो हजार रुपये]⁶ तक हो सकेगा, दण्डनीय और द्वितीय या अनुवर्ती तत्सदृश अपराध के लिये जुर्माने से, जो [पाँच हजार तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा :
- परन्तु कोई न्यायालय ऐसे कारणों के सिवाय जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे किसी ऐसे द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये [दो हजार रुपये]⁶ से कम का जुर्माना आरोपित नहीं करेगा।
1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2013 की धारा 16(क) द्वारा प्रतिस्थापित। 2. उपर्युक्त की धारा 16 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 16 (ग) द्वारा निकाला गया।
4. उपर्युक्त की धारा 17 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उपर्युक्त की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित।
- कर की वसूली भू-राजस्व
20. (1) इस अधिनियम के अधीन देय किसी [मोटर वाहन कर]¹ या शास्ति का बकाया के बकाये की भांति वसूलीय होगा।
- (2) इस अधिनियम के अधीन देय [मोटर वाहन कर]¹ और शास्ति मोटरयान, जिसमें उसके उप साधन भी हैं, पर जिसके सम्बन्ध में यह देय हो, प्रथम भार होगा।
- ((3) कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष के कर और शास्ति के बकायों के लिये यथास्थिति स्वामी या प्रचालक से यथाविहित प्रपत्र में मांग करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर या शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे।²
- साक्षियों आदि को हाजिर अधिकारी होने को प्रवृत्त करने की न्यायालय में शक्ति
21. अपील प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने वाले कराधान को निम्नलिखित के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियां होंगी, जो किसी सिविल किसी सिविल वाद की सुनवाई के समय निहित होती है—
- (क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर या अन्यथा उनकी परीक्षा करना और साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना या अनुरोध करना;

(ख) किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना; और

(ग) पूर्ववर्ती खण्डों में निर्दिष्ट ऐसी शक्तियों का प्रयोग करके जारी किये गये आदेशों की अवज्ञा करने वाले दोषी व्यक्तियों को दण्डित करना।

कर का भुगतान न करने
करने की दशा में परिवहन यान
हो, का को निरुद्ध करना
रहा है,
इस

22. (1) जहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह विश्वास का कारण हो कि किसी व्यक्ति द्वारा {मोटर वाहन कर}⁴ या शास्ति, यदि कोई भुगतान किये बिना किसी {मोटरयान}³ का उपयोग किया गया है या किया जा वहां ऐसा अधिकारी, {मोटरयान}³ को अभिग्रहीत और निरुद्ध कर सकता है और प्रयोजन के लिये ऐसी कार्यवाही कर सकता है या करा सकता है, जिसे वह {मोटरयान}³ के ड्राइवर से उसे निकटतम पुलिस थाने या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान तक पहुंचने की अपेक्षा कर सकता है, जहां पुलिस अभिरक्षा में वाहन को लिया जाना अनिवार्य होगा तथा पुलिस तब तक अपनी अभिरक्षा में रखेगी जब तक सक्षम अधिकारी का वाहन मुक्त करने का आदेश पारित न हो जाए:

परन्तु यान को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी ऐसे अभिग्रहण के अड़तालीस घंटे के भीतर संबंधित कराधान अधिकारी को ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट भेजेगा।

(2) इस धारा के अधीन अभिग्रहीत या निरुद्ध किसी {मोटरयान}³ को, {मोटर वाहन कर}⁴ शास्ति या अन्य देयों, जिनका भुगतान न करने के कारण यान इस प्रकार अभिग्रहीत या निरुद्ध किया गया था, का भुगतान करने पर, कराधान अधिकारी द्वारा तुरन्त छोड़ दिया जायेगा।

(3) जहां {मोटर वाहन कर}⁴ शास्ति या अन्य देय धनराशि का भुगतान, जिनका भुगतान न करने के कारण किसी {मोटरयान}³ को इस धारा के अधीन अभिग्रहीत या निरुद्ध किया गया हो, यान के अभिग्रहण या निरुद्ध के दिनांक से 90 दिवस की अवधि के भीतर उपधारा (2) के अधीन राजकीय कोष में जमा न कर दिया जाये, वहां परिवहन आयुक्त किसी समय, ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो इस अधिनियम के अधीन की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विहित रीति से यान की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री करा सकता है और ऐसे यान के विक्रय से प्राप्त राशि से ऐसे यान के सम्बन्ध में देय कर, शास्ति या अन्य धनराशि और ऐसी नीलामी का व्यय, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित कर लिया जायेगा और इतिशेष को यदि कोई हो, यान के स्वामी/संचालक को वापस कर दिया जायेगा।

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2013 की धारा 20 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 20 (2) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 21 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 21 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

न्यायालयों की
द्वारा अधिकारिता पर रोक
कार्य या
किसी
होगी।

23. इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी अपने कृत्यों के सम्बन्ध में प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में किये गये किसी की गयी किसी कार्यवाही या जारी किये गये किसी आदेश या निदेश के बारे में सिविल न्यायालय को कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

अपराधों का प्रशमन

24. (1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जैसी विहित की जायं, कराधान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध के लिये उपबंधित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत के समतुल्य धनराशि की वसूली पर शमन किया जा सकेगा।

(2) जब किसी अपराध का इस प्रकार शमन—

(एक) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, तब अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजन का उत्तरदायी नहीं होगा;

(दो) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, तब शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा और उस व्यक्ति के विरुद्ध उसी अपराध के लिये कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अपराध का संज्ञान कराधान नहीं	25.	कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान अधिकारी की ऐसे अपराध को बनाने वाले तथ्यों की लिखित रिपोर्ट के सिवाय करेगा।
कम्पनियों द्वारा अपराध कम्पनी और	26. (1)	यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो वह और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्डित किया जा सकेगा :

परन्तु इस अपराध की कोई बात से ऐसा व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी सचिव, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुमति से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो कम्पनी का ऐसा सचिव, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

- (क) “कम्पनी” का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; और
- (ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में “निदेशक” का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।
- सदभावना से किये गये
आदेश या कार्य का संरक्षण
किसी बात
- 27.
- इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी निदेश के अनुसरण में सदभावपूर्ण की गयी या की जाने के लिये आशयित के लिये राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- राज्य सरकार की नियम
लिये बनाने की शक्ति
28. (1)
- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के नियम बना सकती है।
- (2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित समस्त या किन्हीं प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है, अर्थात्—
- (क) वह रीति जिसके अनुसार और प्रपत्र जिसमें और प्राधिकारी जिसे इस अधिनियम के अधीन कर {***}₁ के भुगतान के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, विहित करना;
- (ख) किसी प्रमाण-पत्र, घोषणा, नोटिस, रसीद या टोकन का प्रपत्र और उसमें उल्लिखित किये जाने वाले विवरण और किसी मोटरयान पर टोकन प्रदर्शित करने की रीति, विहित करना;
- (ग) वह रीति जिसके अनुसार फीस, जिसका भुगतान करने पर इस अधिनियम के अधीन टोकन या प्रमाण-पत्र दिया या अन्तरित किया जा सकता है, विहित करना;
- (घ) सामान्य रूप से ऐसे प्राधिकारियों को जिनके द्वारा और ऐसी रीति, जिसके अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के सम्बन्ध में या उसमें आनुषंगिक किसी कर्तव्य का पालन किया जा सके, विहित करना;
- (ङ) कर {***}₁ और शास्ति के भुगतान और उनकी वसूली की रीति को विनियमित करना;
- (च) वह रीति विनियमित करना, जिसके अनुसार कर {***}₁ से छूट और वापस की जाने वाली धनराशि का दावा किया जा सके और उसे स्वीकृत किया जा सके;

- (छ) अपील के लिये फीस विहित करना और ऐसी रीति विनियमित करना, जिसके अनुसार अपील संस्थित की जा सके और उनकी सुनवाई की जा सके;
- (ज) इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों या जारी नोटिसों की तामीली की रीति विहित करना;
- (झ) धारा 17 के अधीन समय-सारणी और अन्य विवरण प्रस्तुत करने का समय और रीति विहित करना;

(ञ) {***}₂

(ट) वह रीति विहित करना, जिसमें उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना सहायता निधि प्रशासित की जायेगी और उसका उपयोग किया जायेगा;

(ठ) कोई अन्य विषय, जिसके लिये नियम बनाया जाना हो या बनाया जा सकता है।

कठिनाइयों को दूर करने

की शक्ति

जैसी

होगा:

29. (1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिये, अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबंध ऐसी अवधि के दौरान आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2013 की धारा 22(1) द्वारा निकाला गया। 2. उपर्युक्त की धारा 22 (2) द्वारा निकाला गया।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबंध जैसे वे किसी पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते थे, लागू होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किसी न्यायालय में इस आधार पर विवादग्रस्त नहीं किया जायेगा कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई कठिनाई नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

निरसन और अपवाद

30— (1) उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) को एतद्द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के भीतर निरसित किया जाता है।

(2) उत्तराखण्ड गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) की धारा 6 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन का कोई प्रभाव ऐसे निरसन के दिनांक के पूर्व उपगत किसी दायित्व पर और किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष उक्त दिनांक को ऐसी अधिनियमितियों के अधीन लम्बित कार्यवाहियों पर नहीं पड़ेगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् संस्थित उपर्युक्त किसी ऐसे दायित्व से संबंधित समस्त कार्यवाहियां जारी रहेंगी और उनका निस्तारण इस प्रकार किया जायेगा मानों यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो।

{प्रथम अनुसूची}₁

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2013 की धारा 24 द्वारा सभी अनुसूचियाँ निकाली गयी।

THE UTTARAKHAND MOTOR VEHICLES TAXATION REFORMS ACT, 2003

[Uttarakhand Act No. 12 of 2003]

A
N

A
C
T

to provide for the reforms of all the taxes in the State imposed on motor vehicles, it is hereby enacted in the 54th year of the Republic of India as follows:-

Short title, 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms
extent and Act, 2003.
commencement

(2) It extends to the whole of
Uttarakhand.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf and different dates may be appointed for different provisions.

Definitions 2. In this Act-

(a) [***]

(b) "Appellate Authority" means the Transport Commissioner, Uttarakhand or any other officer appointed by the State Government as Appellate Authority.

(c) "Certificate of registration" means the certificate issued by a competent authority to the effect that a motor vehicle has been duly registered in accordance with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 or any other law for the time being in force, relating to registration of motor vehicles;

(d) "Goods carriage" means any motor vehicle constructed or adapted wholly or partly for use for the carriage of goods, or any motor vehicles not so constructed or adapted when used for the carriage of goods either solely or in addition to passengers, and includes a trailer but does not include a motor cab, or maxi cab or a contract carriage or stage carriage where such contract carriage or stage carriage is authorized to carry a limited quantity of load;

(e) "Limited quantity of Load" means such quantity of load, not exceeding the limits determined by the Transport Commissioner, Uttarakhand, as the Registering Authority may specify in the registration certificate in respect of a vehicle.

(f) "Old motor vehicle" means a motor vehicle other than a transport vehicle registered prior to February 5, 1988 under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1939;

(g) "Operator" in respect of a transport vehicle means a person whose name is entered in the permit or in an authorization certificate issued under the Uttar Pradesh Motor Vehicles (special provisions) Act, 1976, (as applicable in Uttarakhand) and where there is no such permit or authorization certificate, the person whose name is entered in the certificate or registration in respect of such vehicle, and where the transport vehicle is the subject of a hire purchase agreement, the person in possession of the vehicle under that agreement and where any such person is a minor, the guardian of such minor;

1. Omitted by section 2 (1) of Uttarakhand Act No. 08 of 2013.

(h) "Owner" in respect of a motor vehicle means the person whose name is entered in the certificate of registration issued in respect of such vehicle, and where such vehicle is the subject of an agreement of hire purchase or lease or hypothecation, the person in possession of the vehicle under that

agreement and where any such person is a minor, the guardian of such minor;

(i) "Passenger" in relation to a public service vehicle means any person traveling in a public service vehicle, but does not include the operator, the driver, the conductor or an employee of the operator of the public service vehicle traveling in the *bonafide* discharge of his duties in connection with the public service vehicle;

(j) ["Quarter" means a period of three calendar months commencing on the first day of any calendar month;]¹

(k) "Region" means the area specified as region under sub-section (1) of section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 and includes a sub-region as may be specified by the State Government from time to time;

(l) ["Motor Vehicles Tax"]² means any tax levied under section 4;

[(l-1) "Special Tax" means a tax imposed under section 4A;

(l-2) "Cess" means a "Green Cess" imposed under sub-section (5) of section 4;

(l-3) "School Cab" means a motor cab or maxi cab owned or controlled by a school or college or controlled by its recognized parent teacher association used for carrying students to and from such school or college.]³

(m) "Taxation Officer" means an officer appointed as such by the State Government and includes any other officer on whom all or any of the powers of the Taxation officer are conferred by a general or special order of the State Government;

(n) [***]⁴

(o) Words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Motor Vehicles Act, 1988, shall have the respective meaning assigned to them in that Act.

Power to 3.

(1) The State Government may, by rule or notified order, subject to such exempt conditions and for such period, as may be specified, exempt, either wholly or partially, any motor vehicle or class of motor vehicles operating in furtherance of any educational, medical, philanthropic or other public purpose from.

(a) the operation of this Act or any provision thereof, or

(b) the payment of any tax under this Act.

(2) The exemption granted, or the conditions for the exemption imposed, under sub-section (1) may be made effective retrospectively but not from a date earlier than the commencement of the financial year.

(3) The State Government may, in the like manner withdraw any exemption granted under the sub-section (1) but such withdrawal shall not operate retrospectively.

1. Substituted by section 2 (2) of Uttarakhand Act No. 08 of 2013.

2. Subs. by section 2 (3) *ibid*.

3. Added by section 2 (4) *ibid*.

4. Omitted by section 2 (5) *ibid*.

Imposition of 4. (1) Save as otherwise provided in this act or the rules made thereunder, no motor tax vehicle other than a transport vehicle, shall be used in any public place in Uttarakhand unless a onetime tax at the rate applicable in respect of such

notification motor vehicle, [as may be specified by the State Government by in the Gazette]¹ has been paid in respect thereof :

Provided that where a one-time tax in respect of any such motor vehicle has been paid before the commencement of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act 2000 (as applicable in Uttarakhand) and such Tax has not been refunded under sub-section (5) of section 12, no tax under this sub-section shall be payable in respect thereof after such commencement :

Provided further that in respect of an old motor vehicle, instead of a one-time tax, annual tax at the rate applicable to such motor vehicle [as may be specified by the State Government by notification in the Gazette]² may be paid.

[(1-A) Save as otherwise provided in this Act or the rules made there under no two wheeler, three wheeler motor cab and goods carriage having gross vehicle weight not exceeding 3000 Kilograms, shall be used in any public place in Uttarakhand unless yearly tax at such rate of such motor vehicle, as may be specified by the State Government by notification in the Gazette has been paid in respect thereof :

Provided that in respect of a motor vehicle under this sub-section in lieu of yearly tax such amount of the one time tax may be payable as specified by the State Government by notification in the Gazette;³

[Provided further that in respect of a three wheeler Motor Cab under this sub-section quarterly tax may also be paid at such rate as specified by the State Government by notification in the Gazette.]⁵

[(2) Save as otherwise provided by or under this Act no goods carriage other than those specified in subsection (1-A), construction equipment vehicles, specially designed vehicles, motor cab (other than two wheeler and three wheeler motor cab), and maxi cab shall be used in any public place in Uttarakhand unless a quarterly tax at the rate applicable to such motor vehicle as specified by the State Government by notification in the Gazette has been paid in respect thereof :

Provided that in respect of a motor vehicle under this sub-section instead of quarterly tax, an yearly tax at such rate as specified by the State Government by notification in the Gazette may be payable.]⁴

[Provide further that in respect of a Motor Cab and Maxi Cab under this sub-section monthly tax may also be paid at such rate as specified by the State Government by notification in the Gazette.]⁶

[(2-A) Save as otherwise provided by or under this Act no public service vehicle other than those referred in sub-section (1-A) and sub-section (2) shall be used in any public place in Uttarakhand unless a monthly tax at such rate as may be notified by the State Government is paid in respect thereof :

Provided that in respect of a motor vehicle under this sub-section instead of monthly tax, a quarterly or an yearly tax at such rate as may be notified by the State Government may be payable.

1- Substituted by section 2 (2) of Uttarakhand Act No. 08 of 2013.

2- Subs. by section 2 (3) *ibid*.

3- Added by section 2 (4) *ibid*.

4- Omitted by section 2 (5) *ibid*.

5- Inserted by section 2 (1) of Uttarakhand Act, no. 35 of 2013.

6- Inserted by section 2 (2) of Uttarakhand Act, no. 35 of 2013.

(2-B) Where any reciprocal agreement relating to taxation of goods carried by road is entered into between the Government of Uttarakhand and any other State Government or a Union Territory, the levy of tax under sub-section (1-A) or sub-section (2) shall, notwithstanding anything contained in the said sub-section, be in accordance with the terms and conditions of such agreement :

Provided that the tax so levied shall not exceed the tax which would otherwise been levied under this Act.]¹

[(3) Save as otherwise provided by or under this Act no vehicle which is temporarily registered shall operate in Uttarakhand unless a tax at such rate as may be notified by the State Government has been paid in respect thereof.

(4) Save as otherwise provided by or under this Act a tax at such rate as may be notified by the State Government shall be levied on the motor vehicles kept in possession of a dealer for purpose of sale.

(5) Save as otherwise provided by or under this Act in addition to the tax levied under this Act, there shall be levied and collected a "Cess" called "Green Cess" on the motor vehicles suitable for use on road at such rate as may be notified by the State Government for the purpose of implementation of various measures of air pollution and improvement of Urban Transport System.]²

[Levy of
tax
of
certain

4.A Save as otherwise provided by or under this Act no public service vehicle special covered by temporary permit issued for the conveyance of passengers on in respect special occasions, such as to and from fair and religious gatherings or to carry

marriage parties, tourist parties or such other reserved parties by whatever Vehicles name called shall be operated in public place in Uttarakhand unless in addition to tax under section 4, the special tax at such rate as may be notified by the State Government has been paid in respect thereof.]³

5. [***]⁴

6. [***]⁵

7. [***]⁶

Accident 8.
Fund

[(1) For the purpose of providing relief to the passengers or other persons, Relief suffering casualty in any accident in which a public service vehicle is involved, or to heirs of such passengers or other persons, The State Government shall establish a fund to be know as "The Uttarakhand Road Transport Accident Relief Fund." The amount equivalent to two percent of the tax levied under sub-section (1), (1-A), (2), (2-A) and (2-B) of section 4 shall be credited to the said fund.]⁷

1.Added by section 3 (4) of Uttarakhand Act No. 08 of 2013. 2.Subs. by section 6 (6) ibid.

3.Added by section 4
ibid.

4.Omitted by section 5
ibid.

5.Omitted by section 6
ibid.

6.Omitted by section 7
ibid.

7.Subs. by section 8 ibid.

		(2) The fund established under sub-section (1) shall be administered and utilized in such manner, as may be prescribed.
State Urban Transport establish a Fund collected	8.A	(1) For the purpose of development of transport infrastructure road safety and control of air pollution in urban area, the State Government shall fund to be known as “the State Urban Transport Fund”. The Cess under sub-section (5) of section 4 shall be credited to the said fund.
utilized		(2) The fund established under sub-section (1) shall be administered and in such manner, as may be prescribed.] ¹
Payment of tax and penalty	9.	(1) Subject to the provisions of section 11-
time		(i) the tax payable under sub-section (1) of section 4 shall be paid at the of the registration of the vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988
:		
		Provided that in respect of an old motor vehicle, the tax shall be payable in advance on or before the fifteenth day of January in each year;
		[(ii) the tax payable under sub-section (1-A) of section 4, shall be payable in advance for one quarter in respect of three wheeler motor cab and for one year in respect of other vehicle at the time of registration of the motor vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988 and thereafter on or before the first calendar month of each quarter next following or before fifteenth day of the first calendar month of each year next following as the case may be.
		(iii) the tax payable under sub-section (2) of section 4 shall be payable in advance for one month in respect of motor cab and maxi cab and for one quarter in respect of other vehicles at the time of registration of the motor vehicle under the Motor Vehicle Act, 1988 and thereafter on or before the fifteenth day of each calendar month next following or before fifteenth day of the first calendar month of each quarter next following as the case may be.] ⁵
		(ii)[(a) the tax payable under sub-section (2-A) of section 4, shall be payable in advance for one calendar month at the time of registration of the vehicle under the Motor Vehicle Act, 1988 and thereafter on or before the fifteenth day of each calendar month next following;] ³
		(b) [The Special tax payable under section 4-A] ³ in respect of vehicles covered by temporary permit issued for the conveyance of passengers on special occasions, such as to and from fairs and religious gatherings or to carry marriage parties, tourist parties or such other reserved parties shall be paid at the time of issuance of such temporary permit.
		[(v) (a) the tax payable under sub-section (3) of section 4 shall be payable in advance for thirty days at the time of temporary registration;
		(b) the tax payable under sub-section (4) of section 4, shall be payable in advance on or before the fifteenth day of January in each year;
		(c) the Cess payable under sub-section (5) of section 4 shall be payable at the time of the registration of the vehicle, or at the time of renewal of registration of vehicle or at the time of

renewal of certificate of fitness of the vehicle, as the case may be.]⁴

- 1- Added by section 9 of Uttarakhand Act No. 08 of 2013.
- 2- Added by section 10(1)(b)(i) ibid.
- 3- Omitted by section 10(1)(b)(ii) ibid.
- 4- Added by section 10(1)(c) ibid.
- 5- Substituted by section 3 of Uttarakhand Act, no. 35 of 2013.

(2) When any person transfers a motor vehicle registered in his name to any other person, then without prejudice to the liability of the transfer or in this regard, the transferee shall be liable to pay the arrears of tax, additional tax and penalty, if any, in respect of the motor vehicle so transferred, due on or before the date of its transfer, as if the transferee was the owner of the said motor vehicle during the period for which such tax, additional tax or penalty is due.

(3) Where the tax or additional tax in respect of a motor vehicle is not paid within the period specified in sub-section (1) in addition to the tax or the additional tax due, a penalty at such rate [not exceeding the due amount,]² as may be prescribed, shall be payable, for which the owner and the operator if any shall be jointly and severally liable.

(4) In computing the amount of tax, additional tax or penalty under this Act the amount shall be rounded off to the nearest rupee, that is to say a fraction of a rupee being fifty paise or more shall be rounded off to the next higher rupee and any fraction less than fifty paise shall be ignored.

Vehicles not
be used in
Uttarakhand
without
payment of tax

10. (1) Notwithstanding anything contained in section 9, no transport vehicle shall ply in Uttarakhand-

(a) under a temporary/ permanent permit granted under the Motor Vehicle Act, 1988, by an authority having jurisdiction outside Uttarakhand unless there has been paid in respect thereof-

(i) [under a temporary permit granted under the Motor Vehicle Act, 1988 by an authority having jurisdiction outside Uttarakhand unless there has been paid in respect thereof a tax under section 4 for its use or stay in Uttarakhand;]³

(ii) an additional tax for a public carrier under section 5 or in case of a contract carriage under section 6, as the case may be,

(iii) an additional tax for a stage carriage plying on an interstate route under an agreement between two states, under section 6.

[(b) Under a national permit granted under sub-section (12) of section 88 of the said Act by an authority having jurisdiction outside the State of Uttarakhand no goods vehicle shall be use in the State of Uttarakhand unless there has been paid in respect thereof an consolidated tax under rule 87 of the Motor Vehicle Rules, 1989, in the manner prescribed;]¹

(c) Under a permit granted under sub-section (9) of section 88 of the said Act read with the Motor Vehicles (all India permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993 by an authority having jurisdiction outside Uttarakhand unless there has been paid in respect thereof [a tax under section 4]⁴ at the rate [specified by the State Government by notification in the Gazette]⁴ in the manner prescribed :

[***]⁵

1. Substituted by section 3 of Uttarakhand Act No. 16 of 2011.
2. Subs. by section 10(2) of Uttarakhand Act No. 08 of 2013.
3. Subs. by section 11 (1)(a) *ibid*.
4. Subs. by section 11(1)(b) *ibid*.
5. Omitted by section 11(1)(c) *ibid*.

(2)[***]¹

(3) If such vehicles covered under permanent/ temporary permits from other states, is found plying without payment of payable taxes and additional taxes of Uttarakhand, penalty shall be [equivalent to five times of the due tax]² additionally.

(4)[***]³

[(5) Where any motor vehicle other than a transport vehicle is found plying as a transport vehicle, such tax therefore as may be notified by the State Government, shall be payable.]⁴

[Amount payable on liability occurring for first time 11. Save as otherwise provided by or under this Act when in respect of a transport vehicle, the tax becomes payable for the first time after the commencement of any calendar month, the tax payable under section 4 shall be one third of the appropriate quarterly tax or one twelfth of the appropriate yearly tax for each the first time calendar month or part thereof in respect of which the tax is payable.]⁵

Non-use of vehicle and manner refund of tax has not been [***]⁶

paid,

12. (1) When any person who has paid the tax in respect of a transport vehicle, proves to the satisfaction of the Taxation Officer in the prescribed manner that the motor vehicle in respect whereof such tax has been paid, used for a continuous period of one month or more since the tax was last paid, he shall be entitled to a refund of an amount equal to [one third of the quarterly tax or one twelfth of the yearly tax, as the case may be]⁷ payable in respect of such vehicle for each complete calendar month of such period for which such tax has been paid :

Provided that no such refund shall be admissible unless such person has surrendered the certificate of registration, the token, if any, issued in respect of the vehicle and the permit, if any, to the Taxation Officer, before the period for which such refund is claimed :

[Provided further that where one time tax has been paid for a motor vehicle under sub-section (1-A) of section 4, the amount equivalent to 0.008th part for each month shall be refunded in respect of such vehicle.]⁸

(2) Where the operator or, as the case may be, the owner of a motor vehicle, does not intend to use his vehicle for a period of one month or more he shall, before the date the tax [***]⁹, as the case may be, is due, surrender the certificate of registration, the token, if any, issued in respect of the motor vehicle and the permit, if any, to the Taxation Officer of the region where the tax or additional tax was last paid and on such surrender, no tax [***]⁹ under this Act shall be payable in respect of such vehicle for each complete calendar month of the period during which the vehicle remains withdrawn from use and the aforesaid documents remain surrendered with the Taxation Officer :

1. Omitted by section 11(2) of Uttarakhand Act No. 08 of 2013.
2. Subs. by section 11 (3) *ibid*.
3. Omitted by section 11(4) *ibid*.
4. Subs. by section 11(5) *ibid*.

5.Subs. by section 12 ibid.

6.Omitted by section 13(1)

ibid.

7.Subs. by section 13 (2)(a)

ibid.

8.Added by section 13(2)(b)

ibid.

9.Omitted by section 13(3)(a)

ibid.

Provided that in case such vehicle is found plying during the period when it documents as mentioned in this sub-section remain surrendered with the Taxation officer, such owner or operator, as the case may be, shall be liable to [the tax as if the documents were not surrendered and shall also be liable to the penalty equivalent to five times of the tax.]¹

(3)Where the owner of [a motor vehicle]² in respect whereof one-time tax has been paid under this Act proves to the satisfaction of the Taxation Officer in prescribed manner that such motor vehicle has not been used for a continuous period of one month or more, he [shall be entitled to a refund such tax as may be specified by the State Government by notification in the Gazette]² for the said period :

Provided that no such refund shall be admissible, unless the certificate or registration and the token, if any, issued in respect of the vehicle are surrendered by the owner with the Taxation Officer :

Provided further that the total amount of refund under this sub-section shall not exceed the one-time tax paid under this Act.

(4)In calculation the amount of refund under sub-section (3) any portion of the period being less than a calendar month, shall be ignored.

(5)The owner of a motor vehicle other than a transport vehicle, in respect where of one-time tax has been paid under this Act shall be entitled to refund of such tax at the rate [specified by the State Government by notification in the Gazette]³ on the ground that he has, after payment of such tax, paid tax in respect of such vehicle under any enactment relating to any tax on motor vehicles in any other State or Union Territory as a consequence of such vehicle having been brought over permanently to such other State or Union Territory or that such motor vehicle has been converted in to a transport vehicle or that the registration of such motor vehicle has been cancelled.

(6)Where any person who has paid the tax other than one-time tax in respect of an old motor vehicle, proves to the satisfaction of the Taxation Officer that the motor vehicle in respect of which such tax has been paid, has not been used for a continuous period of one calendar month or more since the tax or installment was last paid, he shall be entitled to a refund of an amount equal to one-twelfth of the rate of annual tax payable in respect of such vehicle for each complete calendar month of such period for which such tax has been paid :

Provided that no such refund shall be admissible unless such person has surrendered the certificate of registration and the token, if any, issued in respect of the vehicle to the Taxation Officer, before the period for which such refund is claimed.

(7) [***]⁴

1. Subs. by section 13(3)(b) of Uttarakhand Act No. 08 of 2013.
2. Subs. by section 13 (4) ibid.
3. Subs. by section 13(5) ibid.
4. Omitted by section 13(6) ibid.

(8) Where the operator, or as the case may be, the owner of a motor vehicle is unable to use his motor vehicle due to an accident of the said vehicle and the certificate of registration, the token, if any, issued in respect of the said vehicle and the permit, if any are surrendered to the Taxation Officer within a week from the date of such accident together with a copy of the first information report, such surrender shall be deemed to have been made on the date of the accident.

[(9) In case of non use of any motor vehicle due to any accident or due to detainment under any act on an application presented before the competent authority within prescribed time period along with sufficient evidence, the non use of the vehicle can be accepted for a period of complete calendar month by the competent authorities, who after through investigation may accept the non use of vehicle and the liability of tax to the limit mentioned below:-

- | | |
|---|--|
| <p>(i) upto Rs. 5,000.00</p> <p>(ii) above Rs.5,000.00 and upto Rs.15,000.00</p> <p>(iii) above Rs.15,000.00 and upto Rs. 30,000.00</p> | <p>Transport Tax Officer-I (having jurisdiction)</p> <p>Assistant Regional Transport Officer (having jurisdiction)</p> <p>Regional Transport Officer (having jurisdiction)</p> |
| | <p>(iv) above Rs. 30,000.00</p> |

Deputy Transport Commissioner (Tax)
nominated by the Transport Commissioner :

Provided that due to the strike of state employees or such other unavoidable circumstances, where vehicle owner having no fault of his own, is unable to deposit the tax within the specified time limits for which penalty is livable on him. Only The Transport Commissioner is competent to rescind such penalty after through investigation.”

Declaration by 13. person keeping vehicle for use (1) The owner or operator of every motor vehicle shall make a declaration in respect of it in the prescribed form and shall deliver the declaration within the prescribed time to the Taxation Officer and shall pay to him the [Motor Vehicle Tax]³ which he appears by such declaration to be liable to pay in respect of such vehicle, as required by or under this Act.

(2) Where a motor vehicle is altered so as to render the owner or operator thereof liable to payment of enhanced [Motor Vehicle Tax]³ under section 14, such owner or operator shall make, within the prescribed time, an additional declaration in the prescribed form showing the nature of the alteration made and shall deliver it to the Taxation Officer and shall pay to him the difference in tax or additional tax payable under section 14.

Payment of 14. Where any motor vehicle in respect of which the [Motor Vehicle Tax]³ has difference in been paid is altered in such manner as to cause the vehicle to become a tax vehicle in respect of which a higher rate of [Motor Vehicle Tax]³ is payable, the owner or operator thereof shall in respect of such vehicle be liable jointly and severally to pay the difference between the amount of [Motor Vehicle Tax]³ payable after its being so altered.

1. Subs. by section 13(7) of Uttarakhand Act No. 08 of 2013.
2. Subs. by section 14 *ibid*.
3. Subs. by section 15 *ibid*.

Record of 15. (1) The Taxation Officer shall record the payment of tax in the certificate of payment of the registration granted in respect of the motor vehicle and in the case of a tax in the certificate of transport vehicle shall also issue a [certificate]² in the prescribed form.

registration
(2)[
***]³
and grant of
[certificate]¹

Power to stop 16. The driver of a motor vehicle shall cause the vehicle to stop and remain stationary when required so to do by the Taxation Officer, or any other officer authorized by the State Government in this behalf, in order to enable him to carry out any duty imposed on him by or under this Act and such authority or other officer may also enter the vehicle and travel in it for doing so.

Time table to 17. (1) Every operator of stage carriage shall, within such time and in such manner as be furnished may be prescribed, furnish to the Taxation officer a table regulation timings of arrival and departure of his stage carriage, as well as the number of single trips made in a quarter and such other particulars connected with his business, as the Taxation Officer may, by order, from time to time, require.

(2) Any alteration in the timings or particulars referred to in sub-section (1), shall be intimated by the operator to the Taxation Officer within fifteen days of such alteration taking effect.

[(3) Every operator of stage carriage shall maintain operational log book of each vehicle, in which such information as may be prescribed shall be kept. The vehicle owner or driver or operator shall produce the log book to the taxation officer on demand.]⁴

Appeal 18. (1) Any person aggrieved by an order of the Taxation Officer made [under section 4, and section 12]⁵ may, within thirty days from the date of receipt of such order, prefer an appeal to the appellate authority.

(2) The Appellate Authority may, after giving the appellant an opportunity of being heard pass such orders as it thinks fit.

(3) Every order made by the Appellate Authority in an appeal under sub-section (1) shall be final.

Punishment 19. Whoever contravenes any of the provisions of this Act or the rules made there of offences under shall be punishable with fine which may extend to [one thousand rupees]⁶ and for the second or subsequent similar offence, be punishable with fine which may extended to [five thousand rupees]⁶ :

Provided that no court shall, except for reasons to be recorded in writing, impose a fine of less than [one thousand rupees]⁶ for any such second or subsequent offence.

1. Subs. by section 16 (a) of Uttarakhand Act No. 08 of 2013.

2. Subs. by section 16 (b)
ibid.

3. Omitted by section 16 (c)
ibid.

4. Added by section 17 *ibid*.

5. Subs. by section 18 *ibid*.

6. Subs. by section 19 *ibid*.

Recovery of 20. (1) Arrears of any [motor vehicles tax]¹ or penalty payable under this Act shall be tax recoverable as arrears of land revenue.

(2) The [motor vehicles tax]¹ and penalty payable under this Act shall be first charge on the motor vehicle including its accessories, in respect whereof it is due.

[(3) The Taxation Officer shall raise a demand in the form as may be prescribed from the owner or operator, as the case may be, for the arrears of tax and penalty of each year, which shall also include the arrears of tax or penalty, if any, of preceding years.

Power to 21. The appellate authority, or the Taxation Officer making any inquiry under this enforce Act shall have all such power as are vested in a civil court while trying a civil attendance of suit, in respect of,- witnesses etc.

(a) the summoning and enforcing of attendance of witnesses, and examining them on oath or affirmation or otherwise and the issue of commission or request to examine witnesses;

(b) compelling anyone for the production of any document; and

(c) punishing persons guilty of disobedience of orders issued in exercise of such powers referred to in the preceding clauses.

Detention of 22. (1) Where an officer authorized by the State Government in this behalf, has Transport vehicle in case of non-payment of tax reason to believe that a [motor vehicle]³ has been or is being used by a person without payment of [motor vehicles tax]⁴ or penalty if any, he may seize and detain the [motor vehicle]³ and for the purpose take, or cause to be taken, such steps as may be considered, by him necessary, for the safe-custody of the [motor vehicle]³ and, in particular, require the driver of such vehicle to convey it to the nearest police station or any other place specified by him; where the custody of the vehicle shall be taken by the police and shall keep until the order of release of the vehicle is received from a Competent Authority :

Provided that the officer seizing the vehicle shall, within 48 hours of such seizure, send a report of such seizure to the concerned Taxation Officer.

(2) A [motor vehicle]³ seized or detained under this section shall be released by the Taxation officer immediately on payment of the [motor vehicles tax]⁴ penalty or other amount due for the non-payment whereof the vehicle was so seized or detained.

(3) Where the [motor vehicle tax]⁴ penalty or other amount due for the non-payment whereof a [motor vehicle]³ has been seized or detained under this section, is not paid under sub section (2) within the period of ninety days from the date of seizure or detention of the Vehicle, the Transport Commissioner may, without prejudice to any other action that may be taken under this act, cause the vehicle to be sold by public auction in the manner prescribed and the sale proceeds of such vehicle shall be adjusted towards the [motor vehicles tax]⁴ the penalty or the other amount due in respect of such vehicle and the expenses, if any, of such auction and the balance, if any, shall be refunded to the owner or the operator of the vehicle.

1.Subs. by section 20 (1) of Uttarakhand Act No. 08 of 2013. 2.Added by section 20(2) ibid.

3.Subs. by section 21 (1) *ibid.*

4.Subs. by section 21 (2) *ibid.*

Bar of 23. No Civil Court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in jurisdiction of respect of anything done, any action taken or any order or direction issued by courts the State Government or any other authority or officer in pursuance of any power conferred by, or in relation to its or his functions under this Act.

Compounding 24. (1) Subject to such conditions as may be prescribed, an offence punishable under of offences this Act may be compounded either before or after the institution of the prosecution, by the Taxation Officer or any other officer empowered by the State Government in this behalf by notification, on realization of an amount equivalent to fifty per cent of the maximum fine provided for such offence under this Act.

(2) When an offence is so compounded—

(i) Before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence;

(ii) After the institution of the prosecution, the compounding shall amount to acquittal of the offender and no further proceedings shall be taken against the person of the same offence.

Cognizance of 25. No Court shall take cognizance of an offence punishable under this Act offences except on a report in writing of the facts constituting such offence made by the Taxation Officer.

Offences by 26. (1) When any offence under this Act has been committed by a company, every Companies person who, at the time other offence was committed, was in charge of and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence punishable under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any secretary, director, manager, or other officer of the company, such secretary, director, manager, or other officer, shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation—for the purpose of this section—

(a) “Company” means any corporate body and includes a firm or other association of individuals; and

(b) “Director” in relation to a firm, means a partner in the firm.

Protection of 27. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State action taken in Government or any of its officers or servants in respect of anything which in good faith good faith is done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule, order or direction made or given thereunder.

Power of State 28. (1) The state Government may, by notification make rules for carrying out the Government to purposes of this Act.

make rules

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power,

the State Government may make rules for all or any of the following purposes, namely-



(a) Prescribing the manner and the



form in which, and the authority to which, application for payment of tax [***]¹ under this Act shall be presented;

(b) Prescribing the form of any certificate, declaration, notice, receipt or

token and the particulars to be stated therein and the manner of exhibiting a token on a motor vehicle;

(c) Prescribing the manner in which, and the fees on payment of which, token or certificate may be granted or transferred under this Act;

(d) Prescribing generally the authorities by whom, and manner in which,

any duties in respect of or incidental to the carrying into effect of the provisions of this Act, may be performed;

(e) Regulating the method of payment and recovery of the tax [***]¹ and penalty;

(f) Regulating the manner in which exemptions from, and refunds of the tax [***]¹ may be claimed and granted;

(g) Prescribing the fee for appeal and regulating the manner in which appeals may be instituted and heard;

(h) Prescribing the manner of service of orders passed or notices issued under this Act;

(i) Prescribing the time for, and manner of, furnishing the time table and other particulars under section 17;

(j) [***]²

(k) Prescribing the manner, which the Uttarakhand Road Transport Accidents Relief Funds shall be administered and utilized;

(l) Any other matter for which rules are to be or may be made.

Power to 29. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty, by a remove notified order, direct that the provisions of this Act shall, during such period difficulties as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations,

whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after the expiration of two years from the date of commencement of this Act.

1. Omitted by section 22 (1) of Uttarakhand Act No. 08 of 2013.

2. Omitted by section 22(2) *ibid*.

(2) Every order made under sub section (1) shall be laid as soon as may be, before both the Houses of State Legislature; and the provisions of sub section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (as applicable in Uttarakhand) shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttarakhand Act.

- Repeal and
is savings
- (3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.
30. (1) The U.P. Motor Vehicles Taxation Act 1997 (as applicable in Uttarakhand) hereby repealed.
- (2) Prior to formation of Uttarakhand State, without prejudice to the generally of section 6 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (As applicable in Uttarakhand), the repeal of the enactments referred to in sub-section (1) shall not affect any liability incurred before the date of such repeal and the proceedings under such enactment pending on the said date before any competent authority or court, and all proceedings relating to any such liability as aforesaid instituted after the commencement of this Act, shall be continued and disposed off as if this Act has not come into force.



[FIRST SCHEDULE]₁

1.All schedules omitted by section 24 of Uttarakhand Act No. 08 of 2013.

